## अरित की राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाणित

PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 4781

नर्ड दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2008/भाद्र 11, 1930

No. 478]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2008/BHADRA 11, 1930

वित्त मंत्रालय

( आर्थिक कार्य विभाग )

अधिसचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2008

सा,का,नि. 630(अ),-केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :---

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत बैंक साधारण (दसरा संशोधन) नियम, 2008 है ।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त हाँगे ।
- 2. नियम 12 का संशोधन.....डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 के नियम 12 के उप-नियम (4) में "ससंगत प्रधान बचत बैंक में" शब्दों के स्थान पर "महानिदेशक (डाक) द्वारा प्राधिकृत डाकघर में" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 2/7/2003-एनएस-II]

एम. ए. खान, अवर सचिव

टिप्पण : डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 सं. सा.का.नि. 662(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् (1) सा.का.नि. 483(अ). तारीख 10 जन, 1983 (2) सा.का.नि. 723(अ), तारीख 4 सितम्बर, 1985 (3) सा.का.नि. 1000(अ), तारीख । जनवरी, 1990. (4) सा.का.नि. 490(अ). तारीख 6 जुलाई, 1999, (5) सा.का.नि. 348(अ), तारीख 10 मई, 2002, (6) सा.का.नि. 586(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, (7) सा.का.नि. 818(अ), तारीख 16 अक्तुबर, 2003 और (8) सा.का.नि. 504(अ), तारीख 7 जुलाई, 2008 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2008

G.S.R. 630(E).-In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Bank General Rules, 1981, namely :--

- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Post Office Savings Bank General (Second Amendment) Rules, 2008.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment of rule 12. In the Post Office Savings Bank General Rules, 1981, in rule 12, in sub rule (4), for the words" in the relevant Head Savings Bank" the words "in the post office authorized by the Director General (Post)" shall be substituted.

[F. No. 2/7/2003-NS-II]

M.A. KHAN, Under Secv.

Note: The Post Office Savings Bank General Rules, 1981 were published vide G.S.R. 662(E), dated the 17th December, 1981 and subsequently amended vide number (1) G.S.R. 483(E), dated the 10th June, 1983, (2) G.S.R.723 (E), dated the 4th September, 1985, (3) G.S.R.1000 (E), dated the 1st January, 1990, (4) G.S.R. 490 (E), dated the 6th July, 1999, (5) G.S.R. 348 (E), dated the 10th May, 2002, (6) G.S.R. 586(E), dated the 25th July, 2003, (7) G.S.R.818 (E), dated the 16th October, 2003 and (8) G.S.R.504 (E), dated the 7th July, 2008.

3290 G1/2008